

पूल वाद में अन्तिम डिक्री  
बमुकद में ईबादाई

अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता  
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

कारणी अधिकारी :- जय कौशिक (आर.ए.एस.)

कारण संख्या :- 89/2024

पत्र अं. धारा 53 आर.टी.ए.

तेजासिंह पुत्र सरवन सिंह जाति जटसिख सा.नुकेरा हाल आबाद चक 2 एनकेआर तह.संगरिया  
सुखमहेन्द्र सिंह पुत्र धर्म सिंह जाति जटसिख साकिन नुकेरा हाल आबाद लम्बीढाब तहसील संगरिया।  
रविन्द्र सिंह पुत्र सुखमहेन्द्र सिंह जाति जटसिख साकिन नुकेरा हाल आबाद लम्बीढाब तहसील संगरिया।

**बनाम**

अंग्रेजकौर पत्नी बलदेव सिंह जाति जटसिख सा.नुकेरा हाल आबाद चक 2 एनकेआर तह.संगरिया  
अमरीक सिंह पुत्र बलदेव सिंह जाति जटसिख सा.नुकेरा हाल आबाद चक 2 एनकेआर तह.संगरिया  
मलकीयत सिंह पुत्र बलदेव सिंह जाति जटसिख सा.नुकेरा हाल आबाद चक 2 एनकेआर तह.संगरिया  
राजस्थान मरुधरा बैंक शाखा नुकेरा जरिये मैनेजर  
स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा संगरिया जरिये मैनेजर



प्रतिवादीगण

दिनांक :- 8-9-2024

हहाजरी श्री बन्टुश बिश्नोई वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री कैलाश सिंवल वकील प्रतिवादी 1 ता 7 मिन  
जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है एव तहसीलदार भूअ.संगरिया से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मुताबिक  
अन्तिम डिक्री निम्नानुसार दी जाती है:-

नाम काशतकार मय वल्लियत एवं सूकनात	चक का नाम खातों का विवरण	वर्तमान में कब्जा काशत अनुसार काशतकार का नाम	कब्जा काशत अनुसार रकबा
1.अंग्रेज कौर पत्नी बलदेव सिंह 0.182 हि. 2 अमरीक सिंह पुत्र बलदेव सिंह 0.183 हि. 3 तेजा सिंह पुत्र सरवन सिंह 1.177 हि. राहिन आरएमजीबी शाखा नुकेरा 4 मलकीयत सिंह पुत्र बलदेव सिंह 0.183 हि. 5 रविन्द्र सिंह पुत्र सुखमन्द्र सिंह 0.430 हि. राहिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा संगरिया जाति जट सिख निवासी नुकेरा 6 सुखमन्द्र सिंह पुत्र पुत्र धर्म सिंह 1.012 हि. राहिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा संगरिया जाति जट सिख निवासी लम्बीढाब 7 हरनेक सिंह पुत्र सरवन सिंह 0.088 हि. जाति जट सिख निवासी नुकेरा	प.मं. संतपुरा के चक 2 एनकेआर का खाता सं. 76/66 खाते का योग 2.454 हेक्. (उक्त खाता विवादित श्रेणी का है।)	रविन्द्र सिंह पुत्र सुखमहेन्द्र 0.430 हि. 2 सुखमहेन्द्र सिंह पुत्र धर्म सिंह 1.012 हि. जाति जट सिख निवासी लम्बीढाब राहिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा संगरिया	प.न. 154/141 मु.न. 9 का कि.न. 1/0.177, 10.11/0.506. प.न. 154/142 मु.न. 14 का कि.न. 5/1/0.228, 5/2/0.025 गै.मु. खाला, 6.7/0.506 कुल- 1.442 हेक्. नहरी मय गै.मु.
		तेजा सिंह पुत्र सरवन सिंह जाति जट सिख निवासी नुकेरा	प.न. 154/142 मु.न. 14 का कि.न. 1/1/0.228, 1/2/0.025 गै.मु. खाला, 10.11.20/0.759 कुल- 1.012 हेक्. नहरी मय गै.मु.

महायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
संगरिया

अतः उक्त वाद अपवादित खाता से संबंधित है पक्षकारान को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया गया है भी यदि किसी पक्षकार का हित एकपक्षीय होने के कारण प्रभावित होता है तो उसका वाद पुनः स्थित करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा तथा उक्त निर्णय बाबत यदि किसी न्यायालय में स्थगन आदेश आदि नहीं है तो तहसीलदार संगरिया की अनुशंसा के आधार पर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार भू.अ.संगरिया के पत्र क्रमांक प्रा.डिक्री/भू.अ./2024/828 दिनांक 21.03.2025 द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिग्री का आवश्यक भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। प्रश्नगत भूमि मुक्त होने के पश्चात ही नामान्तरण दर्ज किया जावे।

नोट :- यदि हक हिस्सा प्रभावित नहीं हो तो ऋणि काश्तकार के अलावा डिक्रीत दावे के अन्य पक्षकारों का अमल दरामद कर दिया जावे।

निज..........मुब्लिक..........बाबत..........खर्चा मुकदमे के मय शूद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक..........को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 8-9-2025 को खुले न्यायालय में जारी किया गया।



(जय कौशिक)

सहायक कलेक्टर एवं  
उपसचिव अधिकारी,  
संगरिया